

समाहरणालय, पूर्णियाँ
(जिला स्थापना शाखा)

दिनांक 19.09.2014 को श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ की अध्यक्षता में आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ-सह-अध्यक्ष
2. अपर समाहर्ता, पूर्णियाँ
3. उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ
4. निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्णियाँ
5. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ
6. स्थापना उपसमाहर्ता, पूर्णियाँ
7. सहायक आयुक्त, वाणिज्य-कर अंचल, पूर्णियाँ
8. जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्णियाँ
9. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ
10. नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णियाँ

बैठक में स्थापना उप समाहर्ता, पूर्णियाँ द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव से संबंधित कागजात का फोल्डर सभी सदस्यगण को उपलब्ध कराया गया।

बैठक में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में वैसे आवेदन पत्र जिनके साथ सभी अपेक्षित कागजात एवं कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत चेक स्लीप संलग्न पाये गये उन अभिलेखों का उपस्थित सदस्यों द्वारा अभिलेख दार अवलोकन कर जांच करते हुए मिलान किया गया। साथ ही अनुकम्पा आवेदकों को उनसे लिखने-पढ़ने की जानकारी हेतु अलग-अलग विषयों पर आलेख लिखने का आदेश दिया गया। तदनुसार निम्नांकित अभिलेखों में पोषित आवेदन पत्र एवं कागजातों के आलोक में अभिलेखवार निम्न प्रकार निर्णय लिया गया।



| क्र० सं० | आवेदक का नाम एवं पूरा पता | मृत सरकारी सेवक का नाम/पदनाम/कार्यालय | विभाग का नाम जहाँ से आवेदन प्रस्तुत है | संबंध | मृत्यु की तिथि | आवेदन की तिथि | जन्म तिथि | उम्र | शैक्षणिक योग्यता | आवेदित पद | आवेदक की माता/पिता | सरकारी सेवक का नाम | आवेदक का पता | 13 | 14 | 15 |
|----------|---|---|--|-------|----------------|---------------|------------|------|------------------|-----------|--------------------|--------------------|---|---|--|----|
| 3 | श्री रीतेश कुमार, ग्राम-तिरपनिया, पो-कसबा, जिला-पूर्णिया | स्व० संतोष कुमार, म०पू० लिपिक, वन प्रमंडल, पूर्णिया | वन संरक्षक, पूर्णिया | पुत्र | 23.03.2012 | 01.02.2013 | 28.04.1992 | 20 | स्नातक | तृतीय | नहीं | प्राप्त | चेक स्लिप में सूचना प्राप्त। आवेदन पत्र समय-सीमा में प्राप्त। आवेदन पर सक्षम पदाधिकारी का अनुशंसा प्राप्त। वंशावली प्रमाण-पत्र प्राप्त। मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त। आयु संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त। जाति प्रमाण पत्र प्राप्त। आय प्रमाण पत्र प्राप्त। आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त। आश्रितों को भरण-पोषण संबंधी शपथ-पत्र प्राप्त। अन्य आश्रितों का अनापत्ति शपथ-पत्र प्राप्त। सभी आश्रितों का अनियोजन प्रमाण-पत्र प्राप्त। | चेक स्लिप में सूचना प्राप्त। आवेदन पत्र समय-सीमा में प्राप्त। आवेदन पर सक्षम पदाधिकारी का अनुशंसा प्राप्त। वंशावली प्रमाण-पत्र प्राप्त। मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त। आयु संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त। जाति प्रमाण पत्र प्राप्त। आय प्रमाण पत्र प्राप्त। आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त। आश्रितों को भरण-पोषण संबंधी शपथ-पत्र प्राप्त। अन्य आश्रितों का अनापत्ति शपथ-पत्र प्राप्त। सभी आश्रितों का अनियोजन प्रमाण-पत्र प्राप्त। | आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। आवेदक उपस्थित हुए। इन्हें सिर्फ लिखने-पढ़ने की जानकारी हेतु आवेदन-पत्र/आलेख लिखने का आदेश दिया गया। इनके द्वारा लिखे गये आवेदन-पत्र/आलेख का जिला अनुकम्पा समिति द्वारा जाँच किया गया। जाँचोपरांत यह पाया गया कि आवेदक समुचित रूप से आवेदन-पत्र/आलेख लिखने का आवश्यक ज्ञान धारित करते हैं एवं तदनुसार वे वर्ग-3 के पद हेतु योग्य हैं। तदुद्देश्य के लिए सर्वसम्मति से जिला अनुकम्पा समिति द्वारा इन्हें तृतीय वर्ग (अनुमान्य वेतनमान) के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की जाती है। नियुक्ति प्राधिकार शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं अन्य सभी प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाकर एवं उसके सही पाये जाने तथा अन्य सभी शर्तों के विषय में संतुष्ट होकर ही विभागीय नियमानुसार नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे। | |
| 4 | श्री सुधीर कुमार उरौब, ग्राम-आगाटोला, पो-बेलौरी, धाना-मुफ्फसिल, रानीपतरा, जिला-पूर्णिया | स्व० फागु उरौब, म०पू०-हलधर, जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक, खुशकीबाग | संयुक्त कृषि निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा। | पुत्र | 25.11.2011 | 30.07.2012 | 31.08.1986 | 25 | इन्टर | तृतीय | नहीं | प्राप्त | चेक स्लिप में सूचना प्राप्त। आवेदन पत्र समय-सीमा में प्राप्त। आवेदन पर सक्षम पदाधिकारी का अनुशंसा प्राप्त। वंशावली प्रमाण-पत्र प्राप्त। मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त। आयु संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त। जाति प्रमाण पत्र प्राप्त। आय प्रमाण पत्र प्राप्त। आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त। आश्रितों को भरण-पोषण संबंधी शपथ-पत्र प्राप्त। अन्य आश्रितों का अनापत्ति शपथ-पत्र प्राप्त। सभी आश्रितों का अनियोजन प्रमाण-पत्र प्राप्त। | चेक स्लिप में सूचना प्राप्त। आवेदन पत्र समय-सीमा में प्राप्त। आवेदन पर सक्षम पदाधिकारी का अनुशंसा प्राप्त। वंशावली प्रमाण-पत्र प्राप्त। मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त। आयु संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त। जाति प्रमाण पत्र प्राप्त। आय प्रमाण पत्र प्राप्त। आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त। आश्रितों को भरण-पोषण संबंधी शपथ-पत्र प्राप्त। अन्य आश्रितों का अनापत्ति शपथ-पत्र प्राप्त। सभी आश्रितों का अनियोजन प्रमाण-पत्र प्राप्त। | आवेदक की शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएट है। आवेदक उपस्थित हुए। इन्हें सिर्फ लिखने-पढ़ने की जानकारी हेतु आवेदन-पत्र/आलेख लिखने का आदेश दिया गया। इनके द्वारा लिखे गये आवेदन-पत्र/आलेख का जिला अनुकम्पा समिति द्वारा जाँच किया गया। जाँचोपरांत यह पाया गया कि आवेदक समुचित रूप से आवेदन-पत्र/आलेख लिखने का आवश्यक ज्ञान धारित नहीं करते हैं। तदुद्देश्य के लिए सर्वसम्मति से जिला अनुकम्पा समिति द्वारा इन्हें चुर्चुर्ग वर्ग के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की जाती है। नियुक्ति प्राधिकार शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं अन्य सभी प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाकर एवं उसके सही पाये जाने तथा अन्य सभी शर्तों के विषय में संतुष्ट होकर ही विभागीय नियमानुसार नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे। | |

ky

| क्र० सं० | आवेदक का नाम एवं पुरा पता | मृत सरकारी सेवक का नाम/पदनाम/कार्यालय | विभाग का नाम जहाँ से आवेदन अग्रसारित है | संबंध | मृत्यु की तिथि | आवेदन की तिथि | जन्म तिथि | उम्र | शैक्षणिक योग्यता | आवेदित पत्र | आवेदक की शरण पत्र | प्रमाण पत्रों की स्थिति | अभ्युक्ति | |
|----------|---|---|---|-------|----------------|---------------|------------|------|------------------|-------------|-------------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | श्री विवेकानंद कुमार, ग्राम-कुकरौन नं०-2, थाना-धमदाहा, जिला-पूर्णिमा | स्व० मंदो कुमारी, मू०पू० ए०एन०एम०, रेफरल अस्पता, धमदाहा | सिविल सर्जन, पूर्णिमा | पुत्र | 18.01.2011 | 25.09.2012 | 10.08.1993 | 19 | इंटर | तृतीय | नहीं | प्राप्त | चेक स्लिप में सूचना प्राप्त। आवेदन पत्र समय-सीमा में प्राप्त। आवेदन पर सक्षम पदाधिकारी का अनुशंसा प्राप्त। वंशावली प्रमाण-पत्र प्राप्त। मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त। आयु संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त। जाति प्रमाण पत्र प्राप्त। आय प्रमाण पत्र प्राप्त। आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त। आश्रितों को भरण-पोषण संबंधी शपथ-पत्र प्राप्त। अन्य आश्रितों का अनापत्ति शपथ-पत्र प्राप्त। सभी आश्रितों का अनियोजन प्रमाण-पत्र प्राप्त। | आवेदक की शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएट है। आवेदक उपस्थित हुए। इन्हें सिर्फ लिखने-पढ़ने की जानकारी हेतु आवेदन-पत्र/आलेख लिखने का आदेश दिया गया। इनके द्वारा लिखे गये आवेदन-पत्र/आलेख का जिला अनुकम्पा समिति द्वारा जांच किया गया। जांचोपरांत यह पाया गया कि आवेदक समुचित रूप से आवेदन-पत्र/आलेख लिखने का आवश्यक ज्ञान धारित करते हैं एवं तदनुसार ये वर्ग-3 के पद हेतु योग्य हैं। तद्विहित प्रमाण पत्रों में सर्वसम्मति से जिला अनुकम्पा समिति द्वारा इन्हें तृतीय वर्ग (अनुमान्य वेतनमान) के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की जाती है। नियुक्ति प्राधिकार शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं अन्य सभी प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाकर एवं उसके सही पाये जाने तथा अन्य सभी शर्तों के विषय में संतुष्ट होकर ही विभागीय नियमानुसार नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे। |
| 6 | श्री मनोज कुमार मल्लिक, ग्राम-शाहपुर उडी, थाना-पटोरी, जिला-समस्तीपुर | स्व० सुरेश मल्लिक, मू०पू० लिपिक, जिला कल्याण कार्यालय, पूर्णिमा | जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णिमा | पुत्र | 04.10.2011 | 13.08.2013 | 25.01.1984 | 29 | इन्टर | तृतीय | नहीं | प्राप्त | चेक स्लिप में सूचना प्राप्त। आवेदन पत्र समय-सीमा में प्राप्त। आवेदन पर सक्षम पदाधिकारी का अनुशंसा प्राप्त। वंशावली प्रमाण-पत्र प्राप्त। मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त। आयु संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त। जाति प्रमाण पत्र प्राप्त। आय प्रमाण पत्र प्राप्त। आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त। आश्रितों को भरण-पोषण संबंधी शपथ-पत्र प्राप्त। अन्य आश्रितों का अनापत्ति शपथ-पत्र प्राप्त। सभी आश्रितों का अनियोजन प्रमाण-पत्र प्राप्त। | आवेदक की शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएट है। आवेदक उपस्थित हुए। इन्हें सिर्फ लिखने-पढ़ने की जानकारी हेतु आवेदन-पत्र/आलेख लिखने का आदेश दिया गया। इनके द्वारा लिखे गये आवेदन-पत्र/आलेख का जिला अनुकम्पा समिति द्वारा जांच किया गया। जांचोपरांत यह पाया गया कि आवेदक समुचित रूप से आवेदन-पत्र/आलेख लिखने का आवश्यक ज्ञान धारित करते हैं एवं तदनुसार ये वर्ग-3 के पद हेतु योग्य हैं। तद्विहित प्रमाण पत्रों में सर्वसम्मति से जिला अनुकम्पा समिति द्वारा इन्हें तृतीय वर्ग (अनुमान्य वेतनमान) के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की जाती है। नियुक्ति प्राधिकार शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं अन्य सभी प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाकर एवं उसके सही पाये जाने तथा अन्य सभी शर्तों के विषय में संतुष्ट होकर ही विभागीय नियमानुसार नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे। |

